संख्याः2/2017/199/24-पी-2-17-सा0(84)/2014

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: मई, 2017

विषय:- ऊर्जा कम्पनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को एक कोषागार से दूसरे कोषागार में स्थानान्तरित करने की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3385 5210/4(विद्युत)/2015/को0नि0/प्रावि0, दिनांक 03.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य के सेवानिवृत्त पेंशनरों की भांति ऊर्जा कम्पनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को एक कोषागार से दूसरे कोषागार में स्थानान्तरित करने की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु कोषागार के प्रभावी नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है। पेंशन प्रपत्र एक कोषागार से दूसरे कोषागार को उसी प्रक्रिया के अनुसार स्थानान्तरित किये जायेंगें जो राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए लागू है।

3- कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-76 यू0ओ0/दस-2017 दिनांक 03.05.2017 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

संख्याः2/2017/199(1)/24-पी-2-2017, तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 ।
6- समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
7- सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in